

राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक: एफ.18(आई-41)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2010-11/3260-365 दिनांक: 27-2-12
- 3605


-: कार्यालय आदेश :-

विभागीय आदेश कमांक 1675-2066 दिनांक 31.08.2010 के द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.ए.डब्ल्यू.एम.पी.) के प्रयोजनार्थ परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) सहायक अभियन्ता को आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया था एवं पी.आई.ए. स्तर से एक समय में अधिकतम राशि रु. 1.00 लाख तक आहरण कर सकने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश के क्रम में पी.आई.ए. स्तर से एक समय अधिकतम राशि आहरण की सीमा राशि रु. 1.00 लाख से बढ़ाकर राशि रु. 5.00 लाख निर्धारित की जाती है एवं निर्देश दिये जाते हैं कि विभागीय आदेश कमांक 1077-1311 दिनांक 23.07.2010 के अनुरूप जलग्रहण विकास दल सदस्यों के मानदेय, उप समिति (जलग्रहण) सचिव के मानदेय एवं सामग्री आदि के पेटे भुगतान केवल रेखांकित चैक के माध्यम से ही किया जावे।

विभागीय आदेश कमांक 1675-2066 दिनांक 31.08.2010 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अनुमोदित है।




निदेशक

कमांक: एफ.18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2010-11/3260-365 दिनांक: 27-2-12

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त)
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
8. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VIII)/परियोजना अधिकारी(भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू-संसाधन), जिला परिषद (समस्त)
10. लेखाधिकारी (पंचायत प्रकोष्ठ), जिला परिषद (समस्त),
11. परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (IWMP) एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति,
12. ए.सी.पी., मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।



निदेशक